न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0न0 —91/2019

अनवान : —

1. दयाराम पुत्र रामसिह जाति बिश्नोई निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
2. कुलदीप पुत्र रामसिंह बिश्नोई निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
3. भगवन्ती पुत्री रामसिंह बिश्नोई निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
4. सुमित्रा पुत्री रामसिंह बिश्नोई निवासी करनपुरा तहसील भादरा।

:—वादीगण

बनाम

1. रामसिंह पि0मु0 जीयाराम जाति बिश्नोई निवासी करनपुरा तहसील भादरा।

— असल प्रतिवादी

2. साहबराम पुत्र रामसिंह बिश्नोई निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
3. भालसिह पुत्र रामसिंह बिश्नोई निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
4. ओमप्रकाश पुत्र रामसिंह बिश्नोई निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
5. विनोद पुत्र रामसिंह बिश्नोई निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
6. एसबीआई (एसबीबीजे) भादरा जरिये शाखा प्रबधक।

:—तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :—श्री दलीपसिह झोरड़ वकील — वादीगण

निर्णय दिनांकः— 29/01/2020

सक्षेप मे दावा के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 3 केआरपी के वर्तमान खाता संख्या 144/121 के मु.न. 36 किला नं. 11, 19 ता 22 मु.न. 44 किला नं. 3 ता 8, मु.न. 46 किला नं. 2 कुल किता 11 की 2.783 हैक्टर नहरी बारानी मय खाता रास्ता की खातेदारी प्रतिवादी रामसिंह के नाम से खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 6 एमएरआर के वर्तमान खाता संख्या 82/79 के मु.न. 52 किला नं. 16 ता 25 की 2.530 हैक्टर, मु.न. 53 किला नं. 11 ता 14, 16 ता 25 की 3.542 हैक्टर मु.न. 54 किला नं. 15 ता 17, 24 व 25

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

मु.न. 63 किला नं. 4 ता 7, 14 व 15 मु.न. 64 किला नं. 1 ता 15 की कुल 12.650 हैक्टर नहरी मय खाला रास्ता की खातेदारी प्रतिवादी रामसिंह के नाम से खातेदारी दर्ज है। प्रमाणित जमाबंदी हाल संलग्न वाद है। यही बिनाय दावा है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 हिन्दु है तथा वे हिन्दु उतराधिकार अधिनियम से शासित होते है, वादीगण व प्रतिवादीगण मिताक्षरा हिन्दु परिवार के सदस्य है। वादभूमि पहले वादीगण के दादा जीयाराम की खातेदारी हुआ करती थी। वादभूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की जद्दी जायदाद होने के कारण वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 2 ता 5 का वादभूमि में जन्म से हक व हिस्सा निहित है। मुताबिक हिन्दु विधि के अनुसार जीयाराम के देहान्त होने पर वादभूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 को बहिस्सा बराबर के अनुसार विरासतन में प्राप्त हुई थी। परन्तु प्रतिवादी रामसिह कर्ता खानदान होने के चलते जीयाराम के देहान्त होने पर वादभूमि का विरासतन इन्तकाल तन्हा अपने नाम से दर्ज करवा लिया। जिससे वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

ऐसे स्थिति में वादीगण न्यायालय से यह घोषणा करवाने के कानूनी अधिकारी है कि वादभूमि रोही मौजा चक 3 केआरपी के वर्तमान खाता संख्या 144/121 के मु.न. 36 किला नं. 11, 19 ता 22 मु.न. 44 किला नं. 3 ता 8, मु.न. 46 किला नं. 2 कुल किता 11 की 2.783 हैक्टर नहरी बारानी मय खाता रास्ता की खातेदारी प्रतिवादी रामसिंह के नाम से खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 6 एमएसआर के वर्तमान खाता संख्या 82/79 के मु.न. 52 किला नं. 16 ता 25 की 2.530 हैक्टर, मु.न. 53 किला नं. 11 ता 14, 16 ता 25 की 3.542 हैक्टर मु.न. 54 किला नं. 15 ता 17, 24 व 25 मु.न. 63 किला नं. 4 ता 7, 14 व 15 मु.न. 64 किला नं. 1 ता 15 की कुल 12.650 हैक्टर नहरी मय खाला रास्ता की खातेदारी प्रतिवादी रामसिंह के नाम से खातेदारी दर्ज है, उसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 बहिस्सा बराबर के अनुसार अर्थात वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 प्रत्येक 1/9–1/9 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार है। बाद किये जाने घोषणा राजस्व रिकार्ड जमाबंदी को दुरूस्त किया जावे। लिहाजा यही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद तामील प्रतिवादी सं0 1 ने अपना ईकबालदावा पेश किया जो बाद

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया तथा वकील वादीगण ने तरतीबी प्रतिवादी सं. 2 ता 6 को तर्क किया। प्रतिवादी सं. 1 का ईकबालदावा पेश होने एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को तर्क होने पर तनकीयात कायम करने की आवश्यकता नही समझी गई। वकील वादीगण ने साक्ष्यवादी में वादी कुलदीप पुत्र रामसिंह जाति बिश्नोई निवासी करनपुरा तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्य की ताहिद में वादी ने जमाबंदी चक 6 एमएसआर सम्वत 2072–75 खाता संख्या 82/79 प्रदर्श–1, जमाबंदी चक 3 केआरपी सम्वत 2071–74 खाता संख्या 144/121 प्रदर्श–2, प्रमाणित जमाबंदी भू. प्रबंध विभाग चक 6 मुन्सरी सम्वत 2029–33 प्रदर्श–3, जमाबंदी चक 3 केआरपी प्रदर्श–4, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत करनपुरा प्रदर्श–5 प्रदर्शित करवाये गये।

एक पक्षीय बहस सुनी गई।

पत्रावली का ध्यानपुर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण मे वादीगण ने रोही मौजा चक 3 केआरपी के वर्तमान खाता संख्या 144/121 के मु.न. 36 किला नं. 11, 19 ता 22 मु.न. 44 किला नं. 3 ता 8, मु.न. 46 किला नं. 2 कुल किता 11 की 2.783 हैक्टर नहरी बारानी मय खाता रास्ता की खातेदारी प्रतिवादी रामसिंह के नाम से खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 6 एमएसआर के वर्तमान खाता संख्या 82/79 के मु.न. 52 किला नं. 16 ता 25 की 2.530 हैक्टर, मु.न. 53 किला नं. 11 ता 14, 16 ता 25 की 3.542 हैक्टर मु.न. 54 किला नं. 15 ता 17, 24 व 25 मु.न. 63 किला नं. 4 ता 7, 14 व 15 मु.न. 64 किला नं. 1 ता 15 की कुल 12.650 हैक्टर नहरी मय खाला रास्ता की खातेदारी प्रतिवादी रामसिंह के नाम से खातेदारी दर्ज है, उसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 बहिस्सा बराबर के अनुसार अर्थात वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 प्रत्येक 1/9–1/9 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार में दर्ज करवाने हेतु प्रस्तुत किया है।

अतः वाद वादीगण साबित होने पर मुताबिक अनुतोष डिक्री कर घोषणा की जाती रोही मौजा चक 3 केआरपी के वर्तमान खाता संख्या 144/121 के मु.न. 36 किला नं. 11, 19 ता 22 मु.न. 44 किला नं. 3 ता 8, मु.न. 46 किला नं. 2 कुल किता 11 की 2.783 हैक्टर नहरी बारानी मय खाता रास्ता की खातेदारी प्रतिवादी रामसिंह के नाम से खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 6 एमएसआर के वर्तमान खाता संख्या 82/79 के मु.न.

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

52 किला नं. 16 ता 25 की 2.530 हैक्टर, मु.न. 53 किला नं. 11 ता 14, 16 ता 25 की 3.542 हैक्टर मु.न. 54 किला नं. 15 ता 17, 24 व 25 मु.न. 63 किला नं. 4 ता 7, 14 व 15 मु.न. 64 किला नं. 1 ता 15 की कुल 12.650 हैक्टर नहरी मय खाला रास्ता की खातेदारी प्रतिवादी रामसिंह के नाम से खातेदारी दर्ज है, में प्रतिवादी संख्या 1 रामसिह के बजाय वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 बहिस्सा बराबर के अनुसार अर्थात वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 प्रत्येक 1/9–1/9 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादभूमि बैक के रहन हो तो रहन मुक्त होने के बाद राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री तैयार कर संलग्न की जावे।

निर्णय आज दिनांक 29/01/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)

(मुकेश बारैठ)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व) R.A.S
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :-श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0न0 -91/2019

अनवान : -

1. दयाराम पुत्र रामसिह जाति बिश्नोई निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
2. कुलदीप पुत्र रामसिंह बिश्नोई निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
3. भगवन्ती पुत्री रामसिंह बिश्नोई निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
4. सुमित्रा पुत्री रामसिंह बिश्नोई निवासी करनपुरा तहसील भादरा।

:-वादीगण

बनाम

1. रामसिंह पि0मु0 जीयाराम जाति बिश्नोई निवासी करनपुरा तहसील भादरा।

– असल प्रतिवादी

2. साहबराम पुत्र रामसिंह बिश्नोई निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
3. भालसिह पुत्र रामसिंह बिश्नोई निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
4. ओमप्रकाश पुत्र रामसिंह बिश्नोई निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
5. विनोद पुत्र रामसिंह बिश्नोई निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
6. एसबीआई (एसबीबीजे) भादरा जरिये शाखा प्रबधक।

:-तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

आज यह वाद मुझ श्री मुकेश बारैठ उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष वकील वादीगण दलीप सिह झोरड़ की उपस्थिति मे निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साबित होने पर मुताबिक अनुतोष डिक्री कर घोषणा की जाती रोही मौजा चक 3 केआरपी के वर्तमान खाता संख्या 144/121 के मु.न. 36 किला नं. 11, 19 ता 22 मु.न. 44 किला नं. 3 ता 8, मु.न. 46 किला नं. 2 कुल किता 11 की 2.783 हैक्टर नहरी बारानी मय खाता रास्ता की खातेदारी प्रतिवादी रामसिंह के नाम से खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 6 एमएसआर के वर्तमान खाता संख्या 82/79 के मु.न. 52 किला नं. 16 ता 25 की 2.530 हैक्टर, मु.न. 53 किला नं. 11 ता 14, 16 ता 25 की 3.542 हैक्टर मु.न. 54 किला नं. 15 ता 17, 24 व 25 मु.न. 63 किला नं. 4 ता 7, 14 व 15 मु.न. 64 किला नं. 1 ता 15 की कुल 12.650 हैक्टर नहरी मय खाला रास्ता की खातेदारी प्रतिवादी रामसिंह के नाम से खातेदारी दर्ज है, में प्रतिवादी संख्या 1 रामसिह के बजाय वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 बहिस्सा बराबर के अनुसार अर्थात वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 प्रत्येक 1/9-1/9 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादभूमि बैक के रहन हो तो रहन मुक्त होने के बाद राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 29/01/2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्डाधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)

(मुकेश बारेठ)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Bareth
Date: 2020.02.28 12:00:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: